न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

अनिता परिडवाल पता बी–23, जय जवान अपार्टमेंट, विधाधर नगर, सैक्टर–1, जयपुर
– अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली – रेस्पोण्डेण्ट

मु.नं.–27/19 ता.रजु–07.11.19

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–26.11.2019

1. अपीलाण्ट उपस्थित नहीं।
2. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर "ग्राम पंचायत हाडौती पं.सं. सपोटरा की आबादी भूमि खसरा नं. 576 रकबा 82.6 बीघा में जारी पट्टे क्र.सं. 28, 29, 30, 31 जो कि क्रमशः नबाव खां, नजामुद्दीन, हारून, बाबू तहसील सपोटरा को जारी किये गये थे जिन्हें जिला कलक्टर करौली के पत्रांक 22.07.2019, 30.07.2019 के आदेशानुसार अनियमित रूप से जारी होने पर पं.सं. सपोटरा के विकास अधिकारी के पत्रांक प.स.स./संस्था/2019–20/122 दिनांक 29.08.2019 के द्वारा निरस्त किये गये, उक्त प्रकरण में समस्त पत्रावली में कुल 5 बिन्दुओं की प्रमाणित प्रति चाही गयी थी" जिसकी सूचना उपलब्ध नही करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली ने अपीलोत्तर क्रमांक 517 दिनांक 18.11.2019 से अवगत कराया है कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 11.10.2019 को कार्यालय में प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का संबंध कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति सपोटरा से संबंधित होने के कारण पत्रांक 444–445 दिनांक 15.10.2019 द्वारा निर्धारित समय अवधि में लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति सपोटरा को अंतरित किया जा चुका है जिसकी सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील को इसी स्तर पर निस्तारित फरमाने का श्रम करें।
6. अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार भी पेश नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित समय अवधि में आवेदन को लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति सपोटरा को अंतरित किया जा चुका है जिनके प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर नहीं है। अपीलोत्तर की प्रति अपीलार्थी को भी प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित कर दी गई है।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.12.06 17:24:23 IST
Reason: SelfAttested